भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1102

13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: शीतागार

1102. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

डॉ. निशिकांत दुबे:

श्री.नामा नागेश्वर राव:

श्री.एस. सेल्वराज:

श्री. पी.सी. मोहन:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कार्यशील और निर्माणाधीन शीतागार सुविधाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उपर्युक्त शीतागार सुविधाओं की वर्तमान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में शीतागार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के और/नए शीतागार स्थापित करने हेतु व्यापक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है/ योजना बना रही है और यदि ऐसा है, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं तथा इसके लिए कौन-कौन से राज्य चिन्हित किए गए हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश मे नई शीतागार सुविधाएं स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश, विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में शीतागार स्थापित करने हेतु कुल जारी निधि/प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित देश में कुल 382.24 लाख टन क्षमता वाले 8398 शीतागार हैं। शीतागारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) सरकार विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में शीतागारों की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है ।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत देश में शीतागारों की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक मांग/उद्यमी संचालित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ''बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता'' नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीतागारों और नियंत्रित वायुमंडल (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानियों को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और परिरक्षण अवसंरचना के लिए एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 50% की दर से और आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों को भंडारण और परिवहन अवसंरचना और विकिरण सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के अध्यधीन मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमश 50% और 75% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्टैंडअलोन शीतागारों को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

इसके अलावा, देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) शुरू किया है। एआईएफ के तहत, शीतागरों की स्थापना सहित फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण के लिए, सावधि ऋण पर 2.00 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण और 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

(घ): एमआईडीएच स्कीम के अंतर्गत शीतागार का घटक वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी संचालित है जो सरकारी सहायता उपलब्ध क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य में नई शीतागार सुविधाएं स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ): एमआईडीएच स्कीम के अंतर्गत निधियां, राज्यों से प्राप्त अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर राज्यों को जारी की जाती हैं। शीतागारों की स्थापना सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 30.11.2022 तक देश में शीतागारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	योग	
		संख्या	क्षमता (एमटी)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	442	1703321
3	अरुणाचल प्रदेश	3	8250
4	असम	42	202096
5	बिहार	312	1475667
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ़	99	487263
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	994	3888425
11	हरियाणा	374	853329
12	हिमाचल प्रदेश	84	168543
13	जम्मू और कश्मीर	76	282853
14	झारखंड	58	236680
15	कर्नाटक	232	709991
16	केरल	201	96405
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	309	1331532
19	महाराष्ट्र	628	1047676
20	मणिपुर	5	7840
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	181	576688
25	पांडिचेरी (यूटी)	3	85
26	पंजाब	726	2451501
27	राजस्थान	187	631569
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	187	395940
30	तेलंगाना	74	411518
31	त्रिपुरा	17	51140
32	उत्तर प्रदेश	2437	14875987
33	उत्तराखंड	60	206621
34	पश्चिम बंगाल	515	5948316
	योग	8398	38224006

(स्रोत: विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) वर्ष 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और एमओएफपीआई

अनुबंध - II

देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान एमआईडीएच के तहत जारी की गई राज्य-वार और वर्ष-वार निधियां

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1.	आंध्र प्रदेश	76.70	102.93	79.38	95.00	50.00	404.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	20.00	12.50	8.00	4.40	44.90
3.	असम	22.90	56.00	79.16	45.00	27.00	230.06
4.	बिहार	18.00	19.00	15.15	15.87	9.60	77.62
5.	छत्तीसगढ़	89.23	102.25	68.44	85.00	63.00	407.92
6.	गोवा	2.51	2.87	1.50	0.00	0.60	7.48
7.	गुजरात	88.74	95.25	63.50	30.00	87.18	364.67
8.	हरियाणा	73.50	71.60	64.91	89.32	46.00	345.33
9.	हिमाचल प्रदेश	38.14	23.75	23.15	20.00	11.00	116.04
10.	जम्मू और कश्मीर	116.50	110.00	64.99	72.18	67.75	431.42
11.	झारखंड	25.00	9.50	10.00	10.00	0.00	54.50
12.	कर्नाटक	68.50	115.58	107.40	113.66	54.00	459.14
13.	केरल	29.00	68.53	10.00	10.00	28.00	145.53
14.	मध्य प्रदेश	30.00	31.76	25.99	27.00	0.00	141.75
15.	महाराष्ट्र	86.73	107.00	82.35	63.50	18.63	358.21
16.	मणिपुर	24.00	25.50	26.50	25.30	10.94	112.24
17.	मेघालय	15.36	21.00	9.10	7.25	8.60	61.31
18.	मिजोरम	41.50	25.00	22.58	40.00	6.75	135.83
19.	नागालैंड	36.34	27.00	23.60	26.00	11.70	124.64
20.	ओड़िशा	46.87	21.00	49.00	11.00	11.00	138.87
21.	पंजाब	15.00	35.50	10.00	22.50	8.22	91.22
22.	राजस्थान	58.00	52.00	25.00	30.00	10.00	175.00
23.	सिक्किम	30.50	22.00	22.84	19.85	10.94	106.13
24.	तमिलनाडु	61.27	129.00	93.02	114.73	75.00	473.02
25.	तेलंगाना	32.18	5.00	0.00	16.15	0.00	53.33
26.	त्रिपुरा	10.00	12.00	20.00	10.00	9.00	61.00
27.	उत्तर प्रदेश	35.87	62.57	62.35	64.16	32.00	256.95
28.	उत्तराखंड	30.37	40.00	22.32	45.00	22.00	159.69
29.	पश्चिम बंगाल	10.00	15.00	8.06	10.00	0.00	43.06
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	1.00	0.30	0.53	1.83
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
33.	दमन और दीव	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
34.	दिल्ली	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	पुदुचेरी	0.99	1.50	1.50	1.40	0.00	5.39
37.	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	15.00	25.83	40.83
	योग	**1214.20**	**1430.09**	**1105.79**	**1143.17**	**709.67**	**5629.92**

*****